Annexure-4 (i)

राजस्थान सरकार

निदेशालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ4 (23)लेखा/आकाशि/अनुदान/2005-06/88 दिनांक 15-7-05

कुल सचिव,
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय
अजमेर

विषय– सत्र 2005–06 में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निर्देशानुसार निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय सत्र 2005–06 में प्रारम्भ करने हेतु निम्नांकित शर्तों पर निम्नलिखित संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित संकाय/विषय हेतु तीन वर्ष के लिये अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है –

क्र. सं.	स्पोंसर संस्था का नाम व पता	प्रस्तावित महाविद्यालय का नाम	विषय/ संकाय
1	2	3	5
1	काम्पिटिशन प्लस संस्थान, 52/792 वेद विहार लोहाखान अजमेर	हुकुमचन्द महिला नेशनल इंस्टीटयूट आफ साईंस एण्ड टेक्नोलोजी, वेद विहार लोहाखान, अजमेर अजमेर	एम.एस.सी. (फार्मिस्टूकल केमेस्ट्री)

1. संस्था को तीन वर्ष की अवधि में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्वंय की भूमि पर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करना होगा तथा अन्य आधारभूत संरचनाके कार्य भी पूर्ण करने होगें । तत्पश्चात् संस्था को इसके निरीक्षण हेतु इस कार्यालय को सूचित करना होगा।
2. संस्था/महाविद्यालय को यू.जी.सी. द्वारा समय–समय पर जारी विनियमों/दिशा–निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी।
3. अस्थाई परिसर में संस्था/महाविद्यालय को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा प्रथम वर्ष/पूर्वाद्ध की कक्षायें चलाने हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध होना आवश्यक है। इसी प्रकार अगले वर्षों में चलायी जाने वाली कक्षाओं के लिए तदनुसार वर्ष में भवन उपलब्ध होना आवश्यक है ।
4. शिक्षण व अन्य शुल्क बाबत राज्य सरकार के निर्णयों को लागू करने हेतु संस्था व महाविद्यालय बाध्य होंगे।
5. छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता (affiliation) प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
6. स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
7. महाविद्यालय में प्रवेश प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की होगी ।
8. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/महाविद्यालय को देय नहीं होगा ।
9. आवश्यकतानुसार आयुक्त कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा ।
10. ट्रस्ट/संस्था की सम्पूर्ण योजना की अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत व्यय प्रथम वर्ष में व्यय किये जाने की क्षमता का होना आवश्यक है ।
11. स्वीकृत पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं (मय यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों तथा कम्प्यूटर कोर्स हेतु यूजीसी योग्यताधारी नहीं होने पर एआईसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता वाले शिक्षक) के सम्बन्ध में एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने की सुनिश्चितता से संस्था/महाविद्यालय द्वारा कालेज शिक्षा विभाग को अवगत करवाना आवश्यक होगा।
12. संकाय/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार संख्या सीमा में ही छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा ।
13. संस्था द्वारा स्थायी जमा में जमा करायी गई राशि 5 वर्ष तक जमा रखनी होगी तथा प्रत्येक 5 वर्ष बाद उसका नवीनीकरण कराया जावेगा।

PRINCIPAL
Hukumchand Noble
Institute of Science & Technology
Danta, Beer Circle
Nasirabad Road, AJMER